

डिक्री वमुकदमें ईत्तदाई
 अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता
 न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी
 पीठासीन अधिकारी:-उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.
 प्रकरण संख्या:-264 / 2018

1. बुधसिंह पुत्र गुरबचनसिंह जाति जट सिख निवासी सिलवाला खुर्द तहसील टिब्बी।
2. प्रेमसिंह पुत्र गुरबचनसिंह जाति जट सिख निवासी सिलवाला खुर्द तहसील टिब्बी।
3. गुरमीतसिंह पुत्र गुरबचनसिंह जाति जट सिख निवासी सिलवाला खुर्द तहसील टिब्बी।

-वादीगण

वनाम

1. जयमलसिंह पुत्र वजीरसिंह जाति जट सिख निवासी सिलवाला खुर्द तहसील टिब्बी हाल आबाद देसुमलकाना जिला सिरसा (हरियाणा)।
2. नाजरसिंह पुत्र वजीरसिंह जाति जट सिख निवासी सिलवाला खुर्द तहसील टिब्बी हाल आबाद देसुमलकाना जिला सिरसा (हरियाणा)।
3. ईकबालसिंह पुत्र वजीरसिंह जाति जट सिख निवासी सिलवाला खुर्द तहसील टिब्बी हाल आबाद देसुमलकाना जिला सिरसा (हरियाणा)।
4. अमरजीतकौर उर्फ सुखपालकौर पुत्री वजीरसिंह पत्नी ईकबालसिंह जाति जट सिख निवासी भगवानगढ़ तहसील व जिला बठिण्डा।

-प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री संजय कुमार शर्मा वकील वादीगण मिन जामिन मुदई श्री महावीर प्रसाद वर्मा प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है:-चक नं. 1 एनडीआर जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 76 खाता संख्या 70 का रकबा 1.3920 है. में प्रतिवादीगण के नाम दर्ज 1/4 हिस्सा, चक नं. 9 एसएलडब्ल्यू जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 76 खाता संख्या 35 का रकबा .7590 में प्रतिवादीगण के नाम दर्ज 1/8 हिस्सा,इसी चक के खाता संख्या 36 का रकबा 9.6140 है. में प्रतिवादीगण के नाम दर्ज 2.403 है. व चक नं. 8 एसएलडब्ल्यू जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 73 खाता संख्या 52 का रकबा 1.7710 है. में प्रतिवादीगण के नाम दर्ज 1/4 हिस्सा के बहिब के वादीगण को खातेदार काश्तकार है। उक्त खातों से प्रतिवादीगण का नाम कलमजन किया जावे व चक नं. 1 एनडीआर के खाता संख्या 70 में प्रतिवादीगण व जलकौर बेवा वजीरसिंह का नाम कलमजन किया इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

निज.....निल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत.....निल.....खर्चा मुकदमें के मय शुद
 वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक 14.11.18 अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखा एवं मुहर अदालत से आज दिनांक...14.11.18...को जारी किया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
 सहायक कलक्टर एवं
 उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी

